

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम




बनाम .....

केसम् मुकदमा :-

मिसल नं०

/

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुकम की तारीख में जारी हुये
18/4/22	<p>अधिवक्तागण उप० पत्रावली पूर्व आदेशानुसार                      दिनांक <u>6/6/22</u> को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">                      राजस्व अपील प्राधिकारी                      कोटा</p>	<p><u>448</u> <u>दस्ता</u>  <u>20/5/22</u></p>
6/6/22	<p>अधिवक्तागण उप० पत्रावली पूर्व आदेशानुसार                      दिनांक <u>11/7/22</u> को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">                      राजस्व अपील प्राधिकारी                      कोटा</p>	
11/7/22	<p>कमीट्टी उच्चपदा उपरि-चर) कमीलां के द्वारा उक्त                      कमीट्टी शासनक भू शासन अधिनियम 1956 की                      धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजि में पेश की है।                      शासन सरकार के आदेश क्रमांक 1 (14) शासन-6/                      2019/112 दिनांक 17/10/19 के द्वारा भू शासन                      अधिनियम 1956 से सम्बंधित शासन कमीटी                      का क्षेत्राधिकार शासन कमीट्टी उपरि-चर) से                      हाननीय न्यायालय क्षेत्राधीन आधुनिक और सम्बन्धित                      किया गया है। उक्त कमीट्टी की सुनवाई का क्षेत्रा-                      धिकार न्यायालय हाजि में नहीं है। अतः भू                      ही कमीट्टी शासन न्यायालय में पेश करी है।                      लौटाई जाती है। पत्रावली पर निर्णय क्रमांक                      दफ्तर है व नम्बर से क्र है।</p> <p style="text-align: right;">                      राजस्व अपील प्राधिकारी                      कोटा</p>	